



ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066



EPFO, HEAD OFFICE
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAIJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066
www.epfindia.gov.in

सं: हि.अ./ति.प्र.रि./संगठन/विज्ञापन एवं प्रचार/वोल-॥/2020/14868

दिनांक: 15 DEC 2022

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / आं.प्र.सं. के प्रभारी क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त,
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.), मुख्यालय, (प्रचार)।

विषय: हिंदी में विज्ञापन जारी करने तथा विज्ञापन पर खर्च करने के संबंध में ।


महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय द्वारा अब तक जारी किए गए विविध अनुदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित दिशा निर्देश पुनः आपके ध्यानार्थ परिचालित किए जा रहे हैं :

1. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जून, 2017 (जो क.भ.नि.सं. की वेबसाईट पर वर्ष 2017-18 के कार्यालय आदेशों के लिंक पर क्र.सं. 260 पर उपलब्ध है) के तहत प्रेषित किए गए राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार "मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा ।" (प्रति संलग्न)
2. आंचलिक कार्यालयों से अनुरोध है कि प्रत्येक तिमाही में, अपने अधीनस्थ कार्यालयों की समेकित रिपोर्ट सहित अपनी रिपोर्ट निर्धारित तिथि अर्थात् तिमाही समाप्त होने के बाद अगले माह की 15 तारीख तक मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
3. क्षेत्रीय कार्यालय अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय पर संबंधित आंचलिक कार्यालय को प्रेषित करें । मुख्यालय द्वारा केवल आंचलिक कार्यालय द्वारा प्रेषित समेकित रिपोर्ट ही स्वीकार की जाएगी ।
4. आंचलिक कार्यालय समेकित रिपोर्ट केवल PDF/Word Document/Excel फॉर्मेट में ही भेजें।

उल्लेखनीय है कि संघ की राजभाषा नीति के अनुरूप सभी कार्यालयों द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार पर राशि व्यय करते समय इस संबंध में दिए गए निदेशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाना अपेक्षित है ।

तदनुसार, अनुरोध है कि भविष्य में विज्ञापन एवं प्रचार पर राशि व्यय करते समय राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों का पूर्ण अनुपालन करना सुनिश्चित करें।



भवदीया,
(वीना टम्टा भाटिया)

अपर केंद्रीय भ.नि.आयुक्त (मुख्या.)/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।